न्यायालय :- सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- संजीव मागो, R.J.S.(D.J. Cadre)

विविध फौजदारी प्रकरण सं. 259/2026

मंगल यादव, पुत्र श्री मानसिंह, उम्र 24 साल, निवासी बल्देववास, पुलिस थाना सीकरी, जिला-डीग (राज.)

...प्रार्थी/अभियुक्त

-: बनाम :-

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

....अप्रार्थी/अभियोगी

''प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, (439 दं.प्र.सं.) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 239/2024, थाना सैंपऊ, जिला-धौलपुर अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं.

उपस्थितः-
1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से श्री हरीशंकर मुदगल, विद्वान अधिवक्ता
2. श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

-:आ दे श :- दिनांक- 10/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अं0 धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दंप्रसं.) जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित न्यायालय से पत्रावली तलब कर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में परिवादी जितेन्द्र शर्मा ब्रान्च मैनेजर, भारत फाईनेन्शियल, इंक्लूजन, लिमि. द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हमारी बैंक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं को लोन देकर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, हमारी बैंक के फिल्ड ऑफिसर महिलाओं को लोन देने व उनकी किस्तो के कलेक्शन का कार्य करते हैं मेरी ब्रांच में संगम मेनेजर के पद पर कार्यरत मंगल यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिन मेंबर के लोन चल रहे थे और उनका लोन रकम कुछ किस्ते ही बाकी थी, उन मेंबर में से कुछ महिला सदस्यों का बकाया किस्तों के पैसे लेकर सारा रुपया अपने पास रख लिया, उनको ब्रांच में जमा नहीं कराया, जब लोन सदस्यों की किस्त नहीं आने पर हमने उनसे संपर्क किया तो लोन सदस्यों ने बताया कि हमने तो लोन की संपूर्ण राशि मंगल सर को जमा करवा दी तो मैंने सारी मीटिंगों की महिला सदस्यों से पूछताछ की तो मुझे पता लगा कि गबन हुआ है तो मैंने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी तो उच्च अधिकारियों ने फिल्ड वेरिफिकेशन करके जिन महिला सदस्यों से मंगल यादव ने रुपये लिए है, उन महिला सदस्यों से लिखित स्टेटमेंट करवाए और वेरिफिकेशन के आधार पर मंगल यादव का कुल **1,27,149/-** रुपये का गबन प्रमाणित किया है, जिससे मेरी बैंक को कुल 1,27,149/- रुपये की आर्थिक हानि हुई है तथा लोन मेंबरों का मेरी बैंक के प्रति छवि धुमिल हुई है। मंगल यादव द्वारा किए गए गबन के प्रमाणित होने के बाद मैंने और उच्च अधिकारियों ने मंगल यादव से संपर्क करके गबन किए रुपये लौटाने के लिए कहा तो उसने रुपये लौटाने से मना करते हुए धमकी दी कि अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करने की कोशिश की तो उसका

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
10.03.2026 18:21
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरी पुलिस विभाग में बहुत पहुंच है....इत्यादि। जिस पर पुलिस थाना सैपऊं धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 239/2024 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त/प्रार्थी मंगल यादव के विरूद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं. के आरोप बनना पाते हुए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैंपऊ, जिला-धौलपुर के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 24.12.2025 को गिरफ्तार किया गया है, तब से वह पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई जुर्म नहीं किया है, उसके विरूद्ध बताये गये आरोप मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं, उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना शेष नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवार की जिम्मेदारी है, जिसके जेल में रहने से उसके परिवार को परेशानी हो रही है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

4 विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धोखाधड़ी जैसे गम्भीर प्रकृति के आरोप अनुसंधान से प्रमाणित पाये है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया गया एवं संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा फाईनेन्स बैंक का कर्मचारी रहते हुए, अन्य व्यक्तियों द्वारा लिये गये ऋण की बकाया किश्तें उनसे प्राप्त करने व किश्त संबंधित व्यक्ति से प्राप्त करने के उपरांत भी संबंधित बैंक में जमा न कराकर धोखाधड़ी करते हुए कुल **1,27,149/-** रुपये की राशि का गबन किये जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, व बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण धोखाधड़ी जैसे गम्भीर आरोप से संबंधित है अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त मंगल यादव, पुत्र श्री मानसिंह, उम्र 24 साल, निवासी बल्देववास, पुलिस थाना सीकरी, जिला-डीग (राज.) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 239/2024 थाना सैंपऊ, जिला-धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दं.प्र.सं.) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,धौलपुर

8. यह आदेश आज दिनांक 10/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,धौलपुर

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
10.03.2026 18:21
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"